# बिहार सरकार
# ग्रामीण कार्य विभाग

## आदेश

आ०सं०–2/अ0प्र0–1–13/2016 1818 /पटना, दिनांक :– 3.12.2020

श्री रविशंकर पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, धमदाहा से अगस्त 2015 का मासिक लेखा विवरणी ससमय महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को समर्पित नहीं करने के आरोप पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 1459 अनु0 दिनांक 27.04.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री पासवान से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 10.05.2016 में उल्लेख किया गया कि अगस्त–2015 का मासिक लेखा कार्यालय के पत्रांक–561 दिनांक 04.09.2015 द्वारा तैयार कर लिया गया था, परन्तु भूलवश विलंब से भेजा गया।

3. श्री पासवान के स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी और समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए उन्हें भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है।

4. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः उक्त के आलोक में श्री रविशंकर पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, धमदाहा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है।

(हस्ताक्षर) 3.12.20

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–13/2016 1818 /पटना, दिनांक :– 3.12.2020

**प्रतिलिपि** :–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री रविशंकर पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, धमदाहा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 3.12.20

उप सचिव